

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 21.10.2019

संख्या-1/पी0-101/2014 खंड-1 का.- 8444 / महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित श्री एल0 खियांगते, भा.प्र.से. (झा:1988) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड तथा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि0, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 खंड-1 का.- 8445 / उपायुक्त, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्रीमती विप्रा भाल, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती भाल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

संख्या-1/पी0-101/2014 खंड-1 का.- 8446 / निदेशक, खेलकूद, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:2006) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर निदेशक (प्रशासन), रिम्स, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 खंड-1 का.- 8447 / उपायुक्त, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन, भा.प्र.से. (झा:2010) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, नगरीय प्रशासन, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक, झारखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 खंड-1 का.- 8448 / परियोजना निदेशक, झारखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार-अपर निदेशक (प्रशासन), रिम्स, राँची तथा निदेशक, नगरीय प्रशासन) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सिमडेगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 खंड-1 का.- 8449 / निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री वरुण रंजन, भा.प्र.से. (झा:2014) (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण, झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक साहेबगंज जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
21/10/19
(अरुण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-101/2014 खंड-1 का० - 8449 /राँची, दिनांक 21.10.2019

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/10/19

सरकार के अवर सचिव।